



2026:AHC:12822

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44059 वर्ष 2025

इमरान उर्फ रब्बल

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	सैयद सैफउल्लाह, सुफिया सबा, उज़्मा मंसूरी
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सैयद सैफउल्लाह का पक्षसार धारण करने वाले अधिवक्ता श्री रियाज हुसैन (एआर-0566/24) तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रमेन्द्र पाल सिंह को सुना गया, तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक इमरान उर्फ रब्बल की ओर से थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 338 में उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आवेदक के कब्जे से 145 ग्राम चरस बरामद होने का आरोप है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। एक मामले के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण शपथपत्र के पैरा 16 में दिया गया है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई। आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि उक्त बरामदगी किसी स्वतन्त्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः अपराध में उसे झूठा आलिप्त किए जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे तर्क किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 50 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा आलिप्त किया गया है। दिनांक 05.12.2025 से कारागार में निरुद्ध आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह जमानत पर रिहाई का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि जो व्यक्ति अवैध पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, उसकी निर्दोषता का विनिश्चय विचारण-पूर्व अवस्था में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी अनुग्रह का अधिकारी नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जायेगा।

वाद के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की युक्तियुक्त सम्भावना, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, जनसाधारण/राज्य के व्यापक हित एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, मेरी राय में यह जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **अनुमत किया जाता है।**

आवेदक **इमरान उर्फ रब्बल** को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक किसी स्थगन की मांग किये बगैर विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कारित किये जाने में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा। बन्धपत्र स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत एवं निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाये।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

विनोद/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।